



UPRN010034982026

**न्यायालय Ist Additional District and Sessions Judge Kanpur
Dehat, Kanpur Dehat**

पीठासीन अधिकारी- (Sri. Rajat Sinha), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06042

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1347/2026

NASREEN AKHTAR, उम्र करीब 46 वर्ष, पत्नी रिजवान, निवासी 174 Shivpuri
Purvi, Kasba va Thana Ghatampur, Kanpur nagar, थाना कोतवाली
GHATAMPUR , जनपद Kanpur nagar।

.....प्रार्थिनी/अभियुक्ता।

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा डी०जी०सी० क्रिमिनल कानपुर देहात

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

आवेदिका नसरीन अख्तर के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित, उनकी तरफ से
अग्रिम जमानत प्रार्थना पर बल न दिए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया
तथा बल न दिए जाने का पृष्ठांकन जमानत प्रार्थना पत्र की पुश्त पर अंकित किया
गया।

अतः उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा
बल न दिए जाने के कारण पर निरस्त किए जाने योग्य है

आदेश

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 1347/2026 नसरीन अख्तर बनाम
उ०प्र० राज्य संबंधित परिवाद संख्या-1258/2022 अंतर्गत धारा 419,
420, 465, 323, 504, 506 भा० दं० सं० थाना घाटमपुर जिला कानपुर नगर
बल न दिए जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार
दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक 18-7-2026

(रजत सिन्हा)

प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कानपुर-देहात